**भारत सरकार**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 317**

**उत्तर देने की तारीखः 22.07.2025**

**ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह**

**317. डॉ. शशि थरूरः**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में गरिमा गृहों का राज्यवार ब्यौरा और संख्या क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य के गरिमा गृहों में रहने वाले ट्रांसजेंडरों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 2020-21 और वर्ष 2024-25 के बीच गरिमा गृहों के लिए राज्यवार आवंटित राशि और जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पूरे भारत में गरिमा गृहों के लिए वर्ष 2020 से वर्ष 2021 तक के पायलट चरण में धन की कमी है;

(ङ) यदि हाँ, तो राज्यवार राशि कितनी है और पिछली बार कितनी धनराशि जारी की गई थी;

(च) क्या केंद्र सरकार ने आधार कार्ड और "ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र" जैसी सरकारी पहचान तक आसान पहुँच को सुगम बनाने के लिए कदम उठाए हैं, जिन्हें प्राप्त करना अनगिनत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें भेदभाव और दुर्व्यवहार के कारण अपने घरों से भागना पड़ता है; और

(छ) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री**

**(श्री बी.एल. वर्मा)**

**(क) और (ख):** देश भर में गरिमा गृहों का राज्यवार ब्यौरा तथा उनमें रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

**(ग)**: 2020-21 और 2024-25 के बीच गरिमा गृहों को स्वीकृत धनराशि का राज्यवार विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

**(घ)**: जी नहीं।

**(ङ)**: विवरण संलग्नक-II में दिया गया है।

**(च) और (छ)**: ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र आसानी से उपलब्ध कराने के लिए, पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र और पहचान पत्र जारी करने हेतु ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया गया है। यह एक संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया है जहाँ आवेदक ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकता है और जारी होने के बाद प्रमाणपत्र डाउनलोड भी कर सकता है, इसके लिए उसे किसी भी जारीकर्ता कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड आसानी से उपलब्ध कराने के लिए, ट्रांसजेंडर पहचान पत्र/प्रमाणपत्र को उन दस्तावेजों की सूची में जोड़ा गया है, जिन्हें पांच वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के लिए नामांकन हेतु पहचान, पता, संबंध या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

**संलग्नक-I**

**लोक सभा में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 317 के भाग (क) तथा (ख) में उल्लिखित संलग्नक**

देश भर में गरिमा गृहों का राज्यवार विवरण तथा उनमें रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम | गरिमा गृहों की संख्या | जिलों के नाम | रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1 | तिरुपति | 25 |
| 2. | असम | 1 | कामरूप (एम) | 25 |
| 3. | बिहार | 1 | पटना | 43 |
| 4. | छत्तीसगढ | 1 | रायपुर | 35 |
| 5 | दिल्ली | 1 | दक्षिण पश्चिम दिल्ली | 25 |
| 6. | गुजरात | 1 | बड़ौदा | 23 |
| 7. | झारखंड | 1 | धनबाद | 0 |
| 8. | कर्नाटक | 1 | बेंगलुरु शहर शहरी | 26 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 2 | इंदौर,<br>भोपाल | 8 |
| 10. | महाराष्ट्र | 3 | ठाणे,<br>मुंबई,<br>रायगढ़ | 72 |
| 11. | मणिपुर | 1 | थौबल | 25 |
| 12. | ओडिशा | 1 | खोरधा | 25 |
| 13. | पंजाब | 1 | लुधियाना | 25 |
| 14. | राजस्थान | 1 | जयपुर | 25 |
| 15. | तमिलनाडु | 1 | चेन्नई | 20 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 1 | गोरखपुर | 25 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 2 | कोलकाता | 27 |
| | **कुल** | **21** | | **454** |

**संलग्नक-II**

**लोक सभा में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 317 के भाग (ग) में उल्लिखित संलग्नक**

2020-21 और 2024-25 के बीच गरिमा गृहों को स्वीकृत धनराशि का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

**(रुपये में)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम | 2021-22 में जारी की गई धनराशि | 2023-24 में जारी की गई धनराशि | 2024-25 में जारी की गई धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | - | - | 5,02,500 |
| 2 | असम | - | - | 5,02,500 |
| 3 | बिहार | 29,17,200 | 29,63,100 | - |
| 4 | छत्तीसगढ | 29,17,200 | 26,86,303 | 9,09,132 |
| 5 | दिल्ली | 29,17,200 | 33,95,173 | 30,72,534 |
| 6 | गुजरात | 29,17,200 | 24,87,263 | 22,67,914 |
| 7 | कर्नाटक | - | - | 5,02,500 |
| 8 | मध्य प्रदेश | - | - | 5,02,500 |
| 9 | महाराष्ट्र | 87,51,600 | 70,11,451 | 56,24,106 |
| 10 | ओडिशा | 29,17,200 | 28,76,372 | 26,59,296 |
| 11 | पंजाब | - | - | 5,02,500 |
| 12 | राजस्थान | 29,17,200 | 30,10,309 | - |
| 13 | तमिलनाडु | 29,17,200 | 9,76,615 | - |
| 14 | उत्तर प्रदेश | - | - | 5,02,500 |
| 15 | पश्चिम बंगाल | 58,34,400 | 45,88,795 | - |

*****